अशासकीय पत्र संख्या–1 / शा0 / 26 / 2021–1 / 137 / 2021
लखनऊः दिनांकः 03 सितम्बर, 2021

आहरण एवं वितरण अधिकारी /
अपर निदेशक(प्रशा0)
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया अनु सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–53 / 2021 / 1380 / 33–3 –2021–100(4) / 2020 दिनांक 27.08.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि **रू0 8676.30 लाख** के सापेक्ष अनुदान सं0–83 में **पूंजीगत मद** में केन्द्रांश **रू0 800.00 लाख(रू0 आठ करोड़ मात्र)** उक्त शासनादेश दिनांक 27.08.2021 में निहित निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त की गयी है।

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि **रू0 800.00 लाख (रू0 आठ करोड़ मात्र)** को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित किया जाता है–

1– योजना प्रभारी द्वारा धनराशि का व्यय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन / दिशा–निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

2– आवंटित धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार फेजिंग में किया जायेगा।

3– आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व व विभिन्न घटकों में भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.12.2020 में अंकित निर्देशों के अनुसार धनराशि के आहरण–व्यय के अनुपालन का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

4– प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

5– आवंटित की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा। योजना प्रभारी द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास 02 माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।

6– धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन / दिशा–निर्देश तथा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा आवंटित की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण / सत्यापन का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

7– आवंटित की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण / व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

8– भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आर0जी0एस0ए0) की गाईडलाइन के अनुसार भारत सरकार से पूंजीगत मद में अनुदान सं0–83 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–789– अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ–0104–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आर.जी.एस.ए.)(के.60 / रा.40–के.+रा.)–24–वृहद् निर्माण कार्य में कुल धनराशि **रू0 800.00 लाख (रू0 आठ करोड़ मात्र)** राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा, गोमतीनगर में खोले गये खाता सं0–31860100018092, आई0एफ0एस0सी0 कोड–BARB0AVALUC में जमा किया जायेगा।

9– आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन कार्यों / योजनाओं हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

10–आवंटित की जा रहीं धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया / व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जाये।

12–धनराशि के आहरण/व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं अन्य वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13–निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

14–आवंटित की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2020/बी–1–149–दस–2020–231/2020 दिनांक 24.03.2020 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन का दायित्व आपका होगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–ई–2–937/दस–2021–2022 दिनांक 26.08.2021 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–120 पर अंकित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(राज कुमार)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः–1/शा0/26/1/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अनु सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 27.08.2021 के क्रम में।
2. विशेष वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
7. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज–21100।
8. उपनिदेशक (पं0), योजना प्रभारी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-03/09/2021

प्रेषण संख्या:- 1-sha-26-2021-1-137-2021
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-137-2021
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
04 - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	80000000 80000000	80000000 80000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	80000000 80000000	80000000 80000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया आठ करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया आठ करोड़

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी